

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 सेवाये, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- राजपत्रित/डीपीसी/एसीपी/10/2019/

दिनांक :-

424
-: आदेश :-

318118

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11(7)/वित्त/नियम/2008/पार्ट I दिनांक 12.09.2008 एवं 06.10.08 तथा एफ.14(88)एफडी (रूल्स)/2008-II दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों की 10 वर्ष की निरन्तर एवं सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने अंकित कॉलम 08 में उल्लेखित दिनांक से पी.बी.-3 15600-39100 में ग्रेड पे 6000 (11 में प्रथम एसीपी स्वीकृत की जाती है :-

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम	वर्तमान पद	जन्म तिथि	नियमित नियुक्ति दिनांक	10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की दिनांक	10 वर्ष पूर्ण होने पर एसीपी स्वीकृती दिनांक
1	2		5	6	7	8
1	डॉ अजय कुमार शर्मा	चिकित्सा अधिकारी	02 10.1967	31 05 1994	30 05 2004	01 09 2006
2	डॉ कुन्दन सिंह	चिकित्सा अधिकारी	10 05 1963	10 07 1992	09 07 2002	01 09 2006

नोट : डॉ. कुन्दन सिंह, चिकित्सा अधिकारी को निलम्बन अवधि में ए.सी.पी. का लाभ काल्पनिक देय होगा।


उक्त चिकित्सा अधिकारियों का सेवा रिकार्ड कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष स्तर पर रहने के कारण एसीपी की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है -

- कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20 06 01 के क्रम में दिनांक 01 06 02 को एव इसके पश्चात् अधिकारी की तीसरी सन्तान नही होने की अधिकारी द्वारा घोषणा।
- एसीपी की देय तिथि से ठीक 10 वर्ष पूर्व नियमित रूप से अधिकारी को वेतन वृद्धिया मिलने एव उक्त अवधि की सेवाये सन्तोषप्रद होने बाबत अधिकारी द्वारा घोषणा।
- संबंधित चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध कोई विभागीय/फौजदारी जाच लम्बित/प्रस्तावित नही होने की तथा पूर्व में कोई दण्ड नही मिलने की अधिकारी की घोषणा।
- उक्त कॉलम संख्या 06 में अंकित नियुक्ति तिथि नियमित रूप से होने की अधिकारी की घोषणा भी प्राप्त की जाना।
- जिन चिकित्सको द्वारा पदौन्नती फोरगो की गई है उन्हें नियमानुसार 02 वर्ष पश्चात् की एसीपी का लाभ इस शर्त पर दिया जायेगा कि उनकी पुन. पदौन्नती होने पर उनके द्वारा फोरगो नही किया गया हो।

- 6 सबधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यालय मे उपलब्ध रिकार्ड/सेवा रिकार्ड से घोषणा पत्र के तथ्यों तथा सेवा रिकार्ड के अनुसार चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण तिथि की पुष्टी की जावेगी तथा उक्त घोषणा पत्र व इसकी पुष्टी का इन्द्राज संबधित चिकित्सा अधिकारी की सेवा पुस्तिका मे किया जाकर तदनुसार वेतन निर्धारण किया जावेगा विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अधिकारी की एसीपी स्वीकृति तिथि को 10 वर्ष निरन्तर व सन्तोषप्रद राजकीय सेवा की पुष्टी की जावेगी।

उपरोक्त चिकित्सको के इस सम्पूर्ण अवधि के एसीआर (वार्षिक कार्य मूल्याकन प्रतिवेदन) प्राप्त नही होने के कारण सन्तोषप्रद सेवा का प्रमाण के आधार पर उक्त एसीपी इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य म उक्त अवधि मे एसीपी में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुन खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्याकन प्रतिवेदन के आधार पर एसीपी स्वीकृति के बारे मे निर्णय लिया जाकर तदनुसार सशोधित कर दिया जावेगा।


उपरोक्त विधि से प्रकरण नियमानुसार होने पर ही इस स्वीकृति के फलस्वरूप संबधित चिकित्सा अधिकारियो का वेतन निर्धारण वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.09.08 व 06.10.08 के नियम-20 के अनुसार संबधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा एव इस स्वीकृति तथा वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबधित चिकित्सकों की सेवा पुस्तिका मे की जावेगी। वेतन निर्धारण से पूर्व सबधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सबधित चिकित्सको एसीपी स्वीकृति तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरक्षित वेतन) नियम-2008 के पे-बैंड 3(15600-39100) ग्रेड-पे 5400 (15) में वेतन प्राप्त कर रहे है।


निदेशक (जन स्वा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- राजपत्रित/डीपीसी/एसीपी/10/2019/ 424
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक :- 31/8/19

- 1 शासन उप सचिव, चिकित्सा एव स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2 सम्बधित सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
- 3 सम्बधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
- 4 प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि विभाग की वेबसाइट पर तुरन्त अपलोड करवाने की व्यवस्था करे।
- 5 सबधित अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
- 6 समस्त डिलिग सहायक, राजपत्रित सस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।
- 7 कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित सस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।
- 8 आदेश/रक्षित पत्रावली।


निदेशक (जन स्वा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।